

बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 8/9/2015

संख्या-3/टी0-01-07/2015- 373(3) /स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के डा0 राजधारी रंजन, अधिसूचित निदेशक (प्रशिक्षण), वरीयता क्रमांक-3474 को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। अधिसूचना संख्या-329(3) दिनांक-24.08.2015 के उस अंश, जिसके द्वारा डा0 रंजन को निदेशक (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया था, को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/टी0-01-07/2015- 373(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 8/9/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 राजधारी रंजन, निदेशक (प्रशिक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (लेखा)/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव